न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रा.टेन./53/2016 .... (रजवाना) .... बनाम छोटू नाथ ....

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.5.18	पत्रावली पेश हुई। राजकीय अभिभाषक उप०। बहस हेतु समय चाहते हैं। अतः पत्रावली दिनांक 26-6-18 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
26.6.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक उप०। अप्रार्थीगण/विपक्षीगण अनुपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की राय से माननीय राजस्व मण्डल राज०, अजमेर को भेजे जाने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पक्षकार राजस्व मण्डल राज०, अजमेर में दिनांक 28.8.18 को प्रातः 10 बजे उपस्थित हों। नियत दिनांक से पूर्व पत्रावली भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो। आज यह निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 53/2016

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. छोटूनाथ पुत्र श्री मोहरूनाथ, जाति–जोगी, निवासी–भम्भौरिया, तहसील–सांगानेर जयपुर (मृतक)।
   - 1/1 पप्पू उर्फ प्रकाश पुत्र स्व0 श्री छोटूनाथ, जाति–जोगी, निवासी–वार्ड नं0 10, जोगियों का मौहल्ला, ग्राम भम्भौरिया, तहसील–सांगानेर।
   - 1/2 नानी देवी पत्नी स्व0 श्री छोटूनाथ, जाति–जोगी, निवासी–वार्ड नं0 10, जोगियों का मौहल्ला, ग्राम भम्भौरिया, तहसील–सांगानेर।
   - 1/3 रामनारायण पुत्र स्व0 श्री छोटूनाथ, जाति–जोगी, निवासी–वार्ड नं0 10, जोगियों का मौहल्ला, ग्राम भम्भौरिया, तहसील–सांगानेर।
   - 1/4 भगोती देवी पत्नी रामजीलाल, जाति–जोगी, निवासी–सोन्दला, तहसील –लालसोट, जिला–दौसा।
   - 1/5 बाबूडी पत्नी बाबूलाल, जाति–जोगी, नि0–खोखाला, तहसील–बस्सी।
   - 1/6 ममता पत्नी फेलजी, जाति–जोगी, निवासी–सिरसी, जयपुर।
2. जग्गानाथ पुत्र मोहरूनाथ, जाति–जोगी, निवासी–भम्भौरिया, जयपुर।
   - 2/1 कैलाशचन्द्र पुत्र जग्गानाथ, जाति–जोगी, निवासी–भम्भौरिया, जयपुर।
   - 2/2 शम्भूदयाल पुत्र जग्गानाथ, जाति–जोगी, निवासी–भम्भौरिया, जयपुर।
   - 2/3 भगवानसहाय पुत्र जग्गानाथ, जाति–जोगी, निवासी–भम्भौरिया, जयपुर।
   - 2/4 रामसहाय पुत्र जग्गानाथ, जाति–जोगी, निवासी–भम्भौरिया, जयपुर।
3. कजोड पुत्र जयनारायण,जाति–हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–भम्भौरिया, जयपुर।
4. बाबूलाल पुत्र काशीराम,जाति–हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–भम्भौरिया, जयपुर।

अप्रार्थीगण

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थित :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 26.06.2018

तहसीलदार, सांगानेर द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–भम्भौरिया की आराजी खसरा नं0 303 रकबा 3 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री बटक भैरोजी आमेर पुजारी गंगानाथ पुत्र श्योनाथ जाति–बंगाली ब्राहम्ण, साकिन आमेर मकबूजा माफीदार मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के जलोड भूमि दर्ज होकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 308 दिनांक 01.12.1983 जगन्नाथ, छोटूनाथ, गैंदानाथ तत्पश्चात् नवीन बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 439 रकबा 0.01 दर्ज होकर नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 21.05.1993 व नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 30.12.1993 के जरिये गैंदानाथ के स्थान पर कजोड पुत्र जयनारायण, जाति–हरियाणा ब्राहम्ण, शंकरलाल पुत्र बंशीधर, जाति–तेली, निवासी–जयपुर के नाम तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 202 विरासत दि0 05.09.2005 के जरिये जग्गानाथ के स्थान कैलाशचन्द, शम्भूदयाल, भगवानसहाय, रामसहाय के नाम दर्ज हो गई जो जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 में दर्ज है जो पुनः माफी मन्दिर श्री बटक भैरोजी आमेर मकबूजा माफीदार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कायमी–मुकामान को रिकार्ड पर लिया जाकर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन /वकालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 03 नाम भोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री बटक भैरोजी आमेर पुजारी गंगानाथ पुत्र श्योनाथ जाति–बंगाली ब्राहम्ण, साकिन आमेर मकबूजा माफीदार व कॉलम सं0 05 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल में मकबूजा माफीदार दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये जलोड भूमि दर्ज की गई है तत्पश्चात् नामान्तरकरण के फलस्वरूप अप्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 में दर्ज है जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण शून्य से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम,1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गऐ है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री बटक भैरोजी आमेर मकबूजा माफीदार के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में माफी मन्दिर श्री बटक भैरोजी आमेर पुजारी गंगानाथ पुत्र श्योनाथ जाति–बंगाली ब्राहम्ण, साकिन आमेर मकबूजा माफीदार दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/ विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी द्वारा भी काश्त की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाबिज भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री बटक भैरोजी आमेर पुजारी गंगानाथ पुत्र श्योनाथ जाति–बंगाली ब्राहम्ण, साकिन आमेर मकबूजा माफीदार की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री बटक भैरोजी आमेर पुजारी गंगानाथ पुत्र श्योनाथ जाति–बंगाली ब्राहम्ण, साकिन आमेर मकबूजा माफीदार दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज–काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विरुद्ध माफी मन्दिर श्री बटक भैरोजी आमेर पुजारी गंगानाथ पुत्र श्योनाथ जाति–बंगाली ब्राहम्ण, साकिन आमेर मकबूजा माफीदार की भूमि का इन्द्राज विभिन्न

(11)

प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 में निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 308 दिनांक 01.12.1983 जगन्नाथ, छोटूनाथ, गैंदानाथ तत्पश्चात् नवीन बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 439 रकबा 0.01 दर्ज होकर नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 21.05.1993 व नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 30.12.1993 के जरिये गैंदानाथ के स्थान पर कजोड पुत्र जयनारायण, जाति–हरियाणा ब्राहम्ण, शंकरलाल पुत्र बंशीधर, जाति–तेली, निवासी–जयपुर के नाम तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 202 विरासत दि0 05.09.2005 के जरिये जग्गानाथ के स्थान कैलाशचन्द, शम्भूदयाल, भगवानसहाय, रामसहाय के नाम दर्ज की गई है जो प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री बटक भैरोजी आमेर मकबूजा माफीदार के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को मा0राजस्व मण्डल राज0, अजमेर में दिनांक 28.08.2018 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

26/6/18

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर